तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** प्रार्थना पत्र बाबत :— मौका रिपोर्ट पर आपत्ति / मूल प्रार्थना पत्र 251ए मुकदमां नम्बर 2022/218 बअनुवानः— कमोद देवी बनाम कानाराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ

पीठासीन अधिकारी
श्री बलबीर सिंह, आर.ए.एस.

उपस्थिति –

श्री प्रहलादराम मिर्धा , अधिवक्ता प्रार्थी
श्री अरूण कुमार माथूर , अधिवक्ता अप्रार्थी 1,2, 4, 7, 8 , 10 स 13 व 15 व 16 से 19
श्री श्यामनिरंजन बोहरा अधिवक्ता अप्रार्थी 20 से 22

—: आदेश :—

दिनांक :— 31.01.2024

अप्रार्थी 1, 2, 4, 7, 8, 1,2, 4, 7, 8 , 10 से 13 व 15 व 16 से 19 के अधिवक्ता ने मौका रिपोर्ट पर आपत्ति पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम कुलियाणा के खसरा नम्बर 343 रकबा 2.49 हैक्टयर में आवागमन हेतु रास्ते की मांग की है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में निरन्तर आगवागन कर रहा है तथा उक्त भूमि के निकट खसरा नम्बर 299 स्थित है जिसके पास खसरा नम्बर 293 कटाणी आम रास्ता है उक्त रास्ते से ही प्रार्थीगण आवगमन कर रहे है। खसरा नम्बर 299 ग्राम कुलियाणा की राजस्व सीमा में सिति है तथा खसरा नम्बर 299 की पूर्वी सीमा के पास से होता हुआ मौके पर रास्ता कायम किया हुआ है, जो खसरा नम्बर 299 में स्थित कुआ खसरा नम्बर 298 तक जाता है खसरा नम्बर 299 के सहखातेदारो द्वारा किये गये बंटवारे के अनुसार खसरा नम्बर 299 में रास्ता कायम किया हुआ है जो खसरा नम्बर 343 के सबसे निकट है। हल्का पटवारी व भू.अ. निरीक्षक ने मौके की स्थिति के विपरीत मौका रिपोर्ट तैयार करते हुए मौका रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि आवागमन हेतु मौका रिपोर्ट में दर्शित रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के पास अन्य कोई विकल्प मौजूद नहीं है। मौका रिपोर्ट मौके की स्थिति से विपरीत होने से दिनांक 04.01.2023 को तैयार की गई मौका रिपोर्ट निरस्त कर पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने का निवेदन किया है। इसी प्रकार अप्रार्थी 20 से 22 की ओर से भी मौका रिपोर्ट पर एतराज प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 343 के लिये रास्ते की मांग की है जबकि प्रार्थी के पास पहले से ही अपने खेत में आने जाने का रास्ता मौजूद है। मौका निरीक्षण के दौरान अप्रार्थी 20 से 22 को सूचना नहीं दी है। बिना सूचना के ही मौका रिपोर्ट तैयार की गई जबकि प्रार्थी के पास पहले से ही आने जाने का रास्ता खसरा नम्बर 299 स्थित है, जिसका मौका रिपोर्ट में कोई हवाला नहीं दिया गया है। जिससे मौका रिपोर्ट पुनः मंगवाया जाना आवश्यक है ताकि न्यायालय के सामने वास्तविक स्थिति आ सके।

वकील प्रार्थी ने अप्रार्थीगण की मौका रिपोर्ट आपत्ति प्रार्थना पत्र का जबाब पेश नहीं कर सीधे बहस सुनने का निवेदन किया गया। जिस पर हमने प्रार्थी व अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का आदर पूर्वक अध्ययन किया गया।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ताओं ने मौका रिपोर्ट पर एजराज पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी ने ग्राम कुलियाणा के खसरा नम्बर 343 में जाने जाने हेतु ग्राम कुण्डरी के अप्रार्थीगण की खातेदारी सुदा भूमि खसरा नम्बर 532 रकबा 3.82 हैक्टयर भूमि की पूर्वी सीमा से रास्ते की मांग की है। जबकि प्रार्थी के पास प्रार्थी की खातेदारी सुदा भूमि में आने जाने हेतु ग्राम कुलियाणा के ही खसरा नम्बर 299 में से मौके पर रास्ता कायम हो रखा है तथा इसी रास्ते से प्रार्थी आता – जाता रहा है। जिससे अप्रार्थीगण की खातेदारी सुदा भूमि से नया रास्ता कायम करने की आवश्यकता नहीं है। मौका रिपोर्ट तैयार करते समय अप्रार्थीगण को सूचित नहीं किया गया। जिससे मौका रिपोर्ट एकतरफा तैयार कर माननीय न्यायालय को प्रस्तुत की गई। जिससे पूर्व मौका रिपोर्ट अपास्त फरमायी जाकर पुनः मौका रिपोर्ट मंगवायी जावे। दौराने बहस प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण के मौका रिपोर्ट पर आपत्ति में अंकित किये गये तथ्य गलत है। खसरा नम्बर 343 प्रार्थी व अप्रार्थीगण 20 से 22 की संयुक्त खातेदारी में है। जिसका मौके पर बंटवारा हो रखा है। प्रार्थी के हक हिस्से तक की भूमि के लिये आने जाने का कोई रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है। सबसे निकटतम कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 531 गै.मु. सड़क है, जिसके उत्तरी तरफ अप्रार्थीगण 1 से 19 की खातेदारी सुदा भूमि खसरा नम्बर 532 है जिसकी पूर्वी –उत्तरी सीमा पर 15 फुट चौडे रास्ते की मांग प्रार्थी द्वारा की गई है इसके अतिरिक्त अन्य कोई नजदीकी विकल्प नहीं है। मौका रिपोर्ट तैयार करते समय अप्रार्थीगण को सूचित किया गया था जिन्होंनें हस्ताक्षर करने से इन्कार किया है। अप्रार्थीगण ने केवल मात्र प्रकरण को लम्बा करने की नियत से मौका रिपोर्ट पर आपत्ति लगायी, जो अस्वीकार फरमायी जाकर अप्रार्थीगण का जबाब लिया जाकर प्रकरण का शीघ्र निस्तार किया जावे।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम कुलियाणा के खसरा नम्बर 343 प्रार्थी व अप्रार्थी 20 से 22 की खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थीगण द्वारा आपत्ति रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रार्थी के पास खसरा नम्बर 299 में से रास्ता कायम हो रखा है। लेकिन नजरी नक्श व जमाबन्दी के अनुसार खसरा नम्बर 299 रास्ता नहीं होकर निजी खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। नक्शा ट्रेस एवं मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी सुदा भूमि खसरा नम्बर 343 के सबसे नजदीकी कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 531 गै.मु. सड़क है, जिसके मध्य केवल अप्रार्थी 1 से 19 की खातेदारी सुदा भूमि खसरा नम्बर 532 स्थित है। मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 532 में मौके पर रास्ता कायम हो रखा है एवं मौके पर चालू है एवं उक्त चालू रास्ते पर ककरमुड़ डाली हुई है। मौका रिपोर्ट अंकित है कि अप्रार्थीगण ने मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से इन्कार किया गया। जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण को मौका रिपोर्ट की पूर्ण जानकारी थी जिसके बावजूद हस्ताक्षर नहीं किये है। अप्रार्थीगण 20 से 22 के अधिवक्ता ने दिनांक 06.09.2022 को वकातलनामा पेश किया तथा अप्रार्थी 1, 2, 4, 7, 8, 1,2, 4, 7, 8 , 10 से 13 व 15 व 16 से 19 के अधिवक्ता ने दिनांक 01. 2.2023 को वकालतनामा पेश किया है। मौका रिपोर्ट पत्रावली में दिनांक 01.02.

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

2023 को प्रस्तुत होने के बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा मूल प्रार्थना पत्र का जबाब पेश नहीं कर लगभग 6 माह बाद मौका रिपोर्ट पर एतराज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जबकि मौका रिपोर्ट पर एजराज प्रार्थना पत्र में जो तथ्य अप्रार्थीगण द्वारा उठाये गये है वह तथ्य मूल प्रार्थना पत्र के जबाब में भी प्रस्तुत कर सकते थे। लेकिन अप्रार्थीगण ने प्रकरण मात्र लम्बा करने की नियत से जबाब पेश नहीं कर एतराज पेश किया। मौका रिपोर्ट पर आपत्ति भी मौखिक रूप से की गई है ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है की मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई नजदीकी रास्ता प्रार्थी की भूमि के लगता है। जिससे भी स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीगण केवल मात्र उक्त प्रकरण को लम्बा करना चाहते है। अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति है तो अपने जबाब के साथ साक्ष्य सबूत पेश करने का विकल्प मौजूद है। जिससे अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 31.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलबीर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर